Sh. Babu
Sh. Vikrant

26/5/15

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,

पावर ग्रिड कारपोरेषन ऑफ इंडिया लि.,(भारत सरकार का उपक्रम)

सौदामिनी प्लॉट संख्याः02 सेक्टर 29 गुडगांव हरियाणा।

सूचना के अधिकार 2005 के तहत निम्नवर्णित सूचनाऐं प्रदान करें।

1. पावरग्रिड विभाग में कर्मचारियों के अंतर-क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरण करने के विभागीय नियम क्या है सम्पूर्ण प्रमाणित नियम उपलब्ध करावें?

2.पावरग्रिड विभाग के द्वारा विभागीय फण्ड से .32 बोर रिवाल्वर जिसका सीरियल नंबर -3658 तथा कीमत रूपये -60387/- किस वर्ष में खरीदी गई है उसका सम्पूर्ण विवरण अनुमोदित नोट सहित उपलब्ध करावें ।

3.पावरग्रिड विभाग के द्वारा उक्त वर्णित .32 बोर रिवाल्वर किस कर्मचारी के व्यक्तिगत नाम से खरीदी गई है सम्बंधित कर्मचारी का नाम, कर्मचारी संख्या, पदनाम एवं तैनाती स्थल का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें ।

4.अधोहस्ताक्षरी का दिनांक 04 अक्टूबर वर्ष 2010 को उ. क्षे.प्रथम से दक्षिणी क्षेत्र द्वितीय में पावरग्रिड विभाग द्वारा विभागीय कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही स्थानांतरण किया था अथवा नहीं हाँ अथवा नहीं में उत्तर उपलब्ध करावें ।

5. पावरग्रिड में कुछ उपकेंद्रों/साइटों पर कार्मिकों को 10 प्रतिशत एफ.सी.ए./एस.सी.ए.वेतन पुनः निर्धारण परिपत्र सं. 277/2010 एवं परिपत्र सं.278/2010 दिनांक 23/10/200 के आधारितही शुरू किया गया था। पावरग्रिड प्रबंधन द्वारा उक्त भुगतान बावत की गई धनराशि का कार्मिकों के वेतन से असंवैधानिक रिकवरी करने के साथ ही 10 प्रतिशत एफ.सी.ए./एस.सी.ए.देना भी बंद कर दिया गया है। उक्तदोनों स्थितियों के लिए डी.पी.ई. की संबंधित गाईडलाइन्स एवं विभागीय नियम का प्रमाण प्रदान करें।

6.अधोहस्ताक्षरी द्वारा दक्षिणी क्षेत्र द्वितीय में तैनाती स्थल पर कार्य ग्रहण करने के उपरांत से आज दिनांक तक पावरग्रिड विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी से विभागीय कार्य करवाये गए हैं अथवा नहीं ऐसा क्यों? समस्त विवरण उपलब्ध करावें ।

21/05/2015

7. पावरग्रिड विभाग के केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों, क्षेत्रीय मुख्यालयों के अधिनिस्थ उपकेंद्रों एवं कार्यालयों में पावरग्रिड कम्पनी एक्ट-1956 के अंतर्गत मेन पावर वर्किंग प्लानिंग के अनुरूप ही वर्ष 2010से आज तक कर्मचारी कार्यरत रहे हैं अथवा नहीं सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें ।

8. पावरग्रिड विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी के अनुरूप ही शिक्षा सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षाओं के मध्य अध्यनरत बच्चों के अभिवावकों का अंतर- क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष 2006 से आज तक स्थानांतरण किया गया है समस्त विवरण उपलब्ध करावें ।

9..पावरग्रिड विभाग द्वारा अंतर- क्षेत्रीय स्थानांतरण वर्ष 2006 से आज तक कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके अनुरोध पर अंतर- क्षेत्रीय कार्यालयों में किये गए हैं विवरण उपलब्ध करावें ।

10. पावरग्रिड विभाग द्वारा दिनांक:15.05.2015 में विगत वित्त-वर्ष की भुगतान की गई धनराशि रू.18907/- पीआरपी संदर्भित वार्षिक गणनाशीट विभागीय गणना के अधिकारिक प्रमाणिकता की वैद्यता स्वरूप पावरग्रिड विभाग के किस नियमांतर्गत अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सम्बंधित विभागीय नियम का प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध करावें ।

11. पावरग्रिड में कुछ उपकेंद्रों/साइटों पर कार्मिकों को 10 प्रतिशत एफ.सी.ए./एस.सी.ए.वेतन पुनः निर्धारण परिपत्र सं. 277/2010 एवं परिपत्र सं.278/2010 दिनांक 23/10/200 के आधारित ही नियमित जारी हैं। पावरग्रिड प्रबंधन द्वारा उक्त भुगतान कुछ उपकेंद्रों/साइटों पर कार्मिकों को 10 प्रतिशत एफ.सी.ए./एस.सी.ए. देना भी बंद कर दिया गया है। उक्त दोनों स्थितियों के लिए डी.पी.ई. की संबंधित गाईडलाइन्स एवं विभागीय नियम का प्रमाण प्रदान करें।

आवेदक का पूरा नाम - वी.के.गौड़

आवेदक का पूरा पता - म.नं.-सी-115,गलीनं.-8, कांतीनागर एक्स., दिल्ली-110051

क्या फीस का सबूत संलग्न है - हाँ पोस्टल ऑर्डर नं. 65सी 641074 एवं 65सी 641075

क्या आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है - नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर वी.के.गौड़ 21/05/2015

दिनांक: 21.05.2015